



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2001/श्रावण 1, 1923

No. 500]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2001/SRAVNA 1, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2001

का.आ. 697(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) संशोधन आदेश, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 में,—

(क) पैरा 2 के उपपैरा (1) में, मद (च) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(च) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से चाय बोर्ड का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष या चाय बोर्ड का मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक, कुनूर या मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक, गुवाहाटी अभिप्रेत है;”

(ख) पैरा 3 के उपपैरा (1) के पहले परन्तुक के खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ग) पैरा 6 के उपपैरा (3) में “चाय बोर्ड के सचिव” शब्दों के पश्चात् “या अनुज्ञापन नियंत्रक या चाय विकास बोर्ड के सहायक निदेशक या चाय विकास बोर्ड के उपनिदेशक” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. टी-12016/1/2000 प्लॉट-(ए)]

एल. वी. सप्तऋषि, अपर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना दिनांक 20-6-1989 के का.आ. सं. 472(अ), भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2001

S.O. 697 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, namely :

- 1. (1) This Order may be called the Tea Warehouses (Licensing) Amendment Order, 2001.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989,—
 - (a) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for item (f), the following item shall be substituted, namely :—
 - (f) “Licensing Authority” means the Chairman or Deputy Chairman of Tea Board or the Chief Regional Executive, Coonoor or Chief Regional Executive, Guwahati of the Tea Board”;
 - (b) in paragraph 3, in sub-paragraph (1), in the first proviso, clause (a) shall be omitted;
 - (c) in paragraph 6, in sub-paragraph 3, after the words “Secretary to the Tea Board”, the words “or Controller of Licensing or Assistant Director of Tea Development or Deputy Director of Tea Development of the Board” shall be inserted.

[F. No. T-12016/1/2000-Plant (A)]

L. V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.

Note :—The principal order was published vide S.O. No. 472(E), dated 20-6-1989, in the Gazette of India, Part-II Section (ii).